रजिस्टर | तारीख | तारीख .... - 2025/952

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः-(मांगी लाल) RAS
वादपत्र अन्तर्गत धाराः- 88 आर.टी.ए.
प्रकरण संख्याः- 571 /2025

1 पवन गिरी पुत्र श्री महेन्द्र गिरी जाति गुसाई निवासी जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़
2 बलवंत पुत्र श्री महेन्द्र गिरी जाति गुसाई निवासी जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़

-ःवादीगण

बनाम्

1 शारदा पत्नी श्री महेन्द्र पुत्र गगांगिर जाति गुसाई निवासी जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज0)
2 महेन्द्र पुत्र गगांगिर जाति गुसाई निवासी जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज0)

-ःप्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. श्री रामकुमार कस्वां - अधिवक्ता वादीगण
2. श्री मदन मूण्ड - अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ता 2
3. राज पैरोकार

-ःनिर्णयः-

दिनांक 05.01.2026

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह है कि वादीगण व प्रतिवादीगण का प्रमाणित व पंजीकृत पता वाद पत्र के शीर्षक में दर्ज अनुसार सही है।

यह कि जहां तक दावा हाजा का सम्बन्ध व सरोकार है वादीगण व प्रतिवादीगण का सजरा खानदान वाद पत्र में अंकित किया गया है:-

यह कि तहसील हनुमानगढ के चक 2 एम जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 के खाता संख्या 49/43 के पत्थर नं0 127/369 (13) किला नं0 4/1/.228, 4/2/.025, पत्थर नं0 128/371 (30) किला नं0 1/2/.228, 2 से 5, 6/1/.0203, 7/2/.0203, 8/1/.0203, 9/2/.0203, 10/3/.0201 कुल 1.5943 हैक्टयर कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से मुश्तरका खाता में दर्ज है। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दी सलंग्न वाद-पत्र है।

यह कि वाद-पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की स्वयं पैदाकर्दा सम्पति न होकर वादीगण के दादा स्व0 गंगागिर से प्राप्त विरास्तन व संयुक्त हिन्दु परिवार की संयुक्त सम्पति है व उक्त सम्पति वादीगण के दादा से प्राप्त होने के कारण विरास्तन सम्पति है व उक्त विरास्तन सम्पति में मिलने वाला हक विरास्तन प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण के पक्ष में बहिस्सा बराबर मौखिक तर्क किया हुआ है इस प्रकार वाद-पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 5823/15943 हिस्सा के वादीगण बहिस्सा बराबर के हकदार खातेदार है अर्थात प्रश्नगत् कुल भूमि 1.5943 हैक्टयर भूमि में वादीगण कुल 1.5823 हैक्टयर कृषि भूमि के बहिस्सा बराबर के हकदार खातेदार काश्तकार हैं।

यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि वे प्रश्नगत् भूमि का राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम अमल दरामद करवाने में सहमति दे देवे तो वे टाल मटोल करते रहे व आखिर गत् सप्ताह मुकाम जाखडावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ में स्पष्ट इन्कार हो गये यही बिनाये वाद है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ

यह कि वाद-पत्र वादी बाबत इस्तकरारहक का है। प्रश्नगत भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है। अतः यह वाद-पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है, जो 2/- रुपये के न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः वाद वादी मय शपथ-पत्र प्रस्तुत कर अर्ज है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री किया जावेः-

क) कि घोषणा फरमाई जावे कि तहसील हनुमानगढ के चक 2 एम जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 के खाता संख्या 49/43 में दर्ज कुल 1.5943 हैक्टयर कृषि भूमि में से 1.5823 हैक्टयर कृषि भूमि के वादीगण बहिस्सा बराबर के हकदार खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन कर वादीगण के नाम से राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया जावे।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 ता 2 की ओर से अधिवक्ता मदन मूण्ड उपस्थित। वादी एंव प्रतिवादी सं. 1 ता 2 द्वारा दावा में राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। राजीनामा मुताबिक वाद-पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित तहसील हनुमानगढ के चक 2 एम जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 के खाता संख्या 49/43 में दर्ज कुल 1.5943 हैक्टयर कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 को मिलने वाला हक विरासतन प्रतिवादी संख्या 1 ने पारिवारिक समझौता में वादीगण के पक्ष में तर्क किया हुआ है इस प्रकार वादीगण प्रश्नगत् कुल भूमि में से 1.5823 हैक्टयर कृषि भूमि के वादीगण बहिस्सा बराबर के हकदार खातेदार काश्तकार है व प्रतिवादी संख्या 1 का प्रश्नगत् भूमि में कोई हक व हिस्सा नही है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का राजस्व अभिलेख में नाम कलमजन किया जाने योग्य है, जिसे पक्षकारान जरिये राजीनामा स्वीकार करते है व मुताबिक घोषणा व राजीनामानुसार वाद पत्र कोई विरोध नहीं होने के कारण तनकीयत कायम नहीं की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस उभयपक्ष ने मुताबिक सहमति व राजीनामा के दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया। उपलब्ध दस्तावेजों व सहमति के आधार पर वाद, वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:<u>क्रियात्मक आदेश</u>:-

अतः वाद वादी निर्णित किया जाता है व घोषणा की जाती है किः- चक 2 एम जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 के खाता संख्या 49/43 में दर्ज कुल 1.5943 हैक्टयर कृषि भूमि में से 1.5823 हैक्टयर कृषि भूमि के वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व इसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है। राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहे।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

नोटः- रकबा रहन हो तो बाद रहन के निर्णय की पालना की जावें।

(मांगीलाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ